

120  
24

आज यह पत्रा.पत्रा हुई। प्रार्थी व उनके  
वकील कोई उपास्थित नहीं हैं। प्रार्थी व  
उनके वकील को बार-बार आवाज लगाव  
गई। परन्तु कोई उपास्थित नहीं आई। अतः  
प्रार्थी की अहम हाजरी व अहम परवी  
खाती खाती ली है। प्रार्थी का यह  
प्रार्थना-पत्र अहम हाजरी व अहम परवी  
खाती ज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र नम्बर  
से कम होकर बाह्य आवश्यक मनी दस्तावेज  
है।

उपखण्ड अधिकारी  
धरौड़ (कोटपूतली-बहरोड़)